Promotion Norms for Scientists and Engineers

1331. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the reasons of discripencies in promotion norms and breaks for scientists and engineers in technical departments;

(b) whether there is any scheme under which scientists at the level of Director and above may be transferred from one department to another similar to the civil services;

(c) whether there is any scheme for change of activity on every promotion of scientists in Government departments which concern projects coordination and promotion rather than actual implementation as laboratories; and

(d) if so, the details therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (d) The S&T Departments follow the Flexible Complementing Scheme (FCS) for promotion of their scientists. The differences in the schemes being followed by respective Departments have arisen as each Department adopted the scales of pay as existing at the time of introduction of the Scheme. The Government reviews from time to time such variations in the cadre structure with a view to rationalise it, depending on the organisational needs.

Under the FCS scheme, the scientists are promoted *in-situ*, irrespective of occurrence of vacancy in the higher grade. In addition to their being allowed to pursue their own area of activity, additional responsibility may also be entrusted to them according to the needs of the organisation.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

1332. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की परियोजनाओं को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की परियोजनाओं में मौजूदा दोहरेपन को दूर करने पर विचार कर रही है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें प्रत्येक वर्ष अन्तर विभागीय रूप से मूल्यांकित किया गया था ;

(घ) मूल्यांकन के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ङ) पेटेंट करायी गयी कितनी परियोजनाएं हैं और कितनी परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण संभव होगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) जी हां। ऐसे अनेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हैं जो अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जहां कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण, जैवप्रौद्योगिकी, रक्षा इत्यादि अपने विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता देते हैं, वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि जैसी एजेन्सियां सामान्य तौर पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता देती हैं।

इन परियोजनाओं की जांच के लिए सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में समुचित सलाहकार निकाय और विशेषज्ञ समितियां हैं। संबंधित एजेन्सियों को अन्य विभागों के सलाहकार निकायों/विशेषज्ञ समितियों में प्रतिनिधित्व देकर परियोजनाओं के दोहरेपन से बचा जाता है। सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों से जुड़ी एक अंतर एजेंसी अनुसंधान